

न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर—खीरी।
राज्य बनाम शेरा चौहान

आदेश

अभियुक्त शेरा चौहान की ओर से मु0अ0सं0 454/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली सदर जिला खीरी जिला खीरी में जमानत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया।

सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, केस के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/—रु0 का स्वबन्ध—पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

सी0जे0एम0

खीरी।

04—10—2019